लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल — 462023

क्रमांक/विद्या/टी/2017/2348 भोपाल, दिनांक 24.8.2017

प्रति,

1 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म0प्र0
2 समस्त संकुल प्राचार्य, शासकीय उमावि,
मध्य प्रदेश।

विषय :—अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु उनके अभिलेखों के सत्यापन बाबत्।
संदर्भ :—संचालनालय का आदेश क्रमांक/विद्या/2186 भोपाल दिनांक 03.08.2017।

——000——

शासनादेश क्रमांक/एफ 44—15/2010/20—2 भोपाल दिनांक 09.11.2016 द्वारा शाला स्तर पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु आदेश जारी किया गया है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति ऑनलाइन किए जाने के संबंध में शासनादेश क्रमांक एफ 44—13/17/20—2 भोपाल दिनांक 20.07.2017 तथा संचालनालय के आदेश क्रमांक/विद्या/2186 भोपाल दिनांक 03.08.2017 द्वारा इसकी समय सारणी जारी की गई है। शासनादेश दिनांक 09.11.2016 में अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में निम्नानुसार बिन्दु हैं :—

"5.6.1 प्रथम वरीयता :—सर्वप्रथम सेवानिवृत्त एवं प्रशिक्षित (डी.एड/बी.एड) शिक्षकों को अधिकतम 65 वर्ष की उम्र की सीमा तक अवसर दिया जाये। सेवानिवृत्त शिक्षक की सेवा अवधि में कार्य संतोषप्रद रहा है इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए, जो कि संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा जारी किया गया हो। सेवानिवृत्त शिक्षकों को बिन्दु—6 के अनुसार ही मानदेय देय होगा।

5.6.2 द्वितीय वरीयता :—मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक नियम—2005 में अद्यतन संशोधन अनुसार विहित की गई शैक्षणिक योग्यता तथा संविदा शाला शिक्षक वर्ग—3 के विरूद्ध रखे जाने वाले अतिथि शिक्षक के लिए हायर सेकेण्डरी के साथ डी.एड/डी.एस.ई./बी.टी.सी.। संविदा शाला शिक्षक वर्ग—2 के विरूद्ध रखे जाने वाले अतिथि शिक्षक के लिए संबंधित विषय में स्नातक के साथ डी.एड/बी.एड, संविदा शाला शिक्षक वर्ग—1 के विरूद्ध रखे जाने वाले अतिथि शिक्षक के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर के साथ बी.एड।

5.6.3 तृतीय वरीयता :—उपरोक्तानुसार दोनों श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में शाला के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि उनके द्वारा व्यापक प्रचार करने के पश्चात भी प्रशिक्षित अभ्यर्थी नहीं हुए हैं। संस्था प्रमुख द्वारा ऐसे प्रकरणों को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर अभ्यर्थियों की वरियता सूची संबंधित पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर बनाई जाए। "

2 दिनांक 21.08.2017 तक अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन करा लिया गया है। इन अभ्यर्थियों द्वारा अब प्रदेश में किसी भी संकुल प्राचार्य के स्तर पर उनके अभिलेखों का सत्यापन कराया जाना है। इस हेतु निम्नांकित प्रकिया निर्धारित की जाती है :—

1. अतिथि शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पंजीयन में जिन अभिलेखों का वर्णन किया गया है, उन अभिलेखों को अभ्यर्थी द्वारा प्रदेश में किसी भी संकुल प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
2. संकुल प्राचार्य, अपने डी.डी.ओ कोड लॉगिन का उपयोग करते हुए एजूकेशन पोर्टल में लॉगिन करेंगे। लॉगिन के उपरांत प्रदर्शित पेज पर <u>Guest Faculty Verification</u> का लिंक प्राप्त होगा। जिस पर क्लिक करने पर गेस्ट फेकल्टी के वेरिफिकेशन का स्कीन

प्राप्त होगा। प्राप्त स्कीन पर आवेदक का यूजर नेम (मोबाईल नम्बर) प्रविष्टि करना होगा। मोबाईल नम्बर की प्रविष्टि के बाद आवेदक को उसका 12 अंको का आधार नम्बर दर्ज करना होगा। आधार नम्बर दर्ज करने के पश्चात आवेदक की शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारियां प्रदर्शित होंगी।

3. पोर्टल में दर्ज शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारियों का आवेदक के मूल अंक सूची/प्रमाण पत्र से मिलान किया जाए। यदि जानकारियां सही हैं तो Verify का बटन क्लिक किया जाए। यदि जानकारी अंक सूची से भिन्न है उस स्थिति में Reject का बटन क्लिक किया जाए। रिमार्क कॉलम में Rejection का कारण अवश्य अंकित किया जाए।
4. संकुल प्राचार्य द्वारा Reject करने पर आवेदक का फार्म फिर से Open हो जायेगा। आवेदक जानकारी में यथा संशोधन कर सकते हैं। संशोधन उपरांत पुनः सत्यापन हेतु संकुल प्राचार्य के पास ऊपर उल्लेखित सत्यापन प्रकिया में शामिल हो सकते हैं।
5. चूंकि अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था 09.11.2016 के परिपत्र 7 की कण्डिका 5.6 के अंतर्गत की जा रही है जिसमें पूर्व के सेवानिवृत्त शासकीय शिक्षक डी.एड, बी.एड अर्हताधारी अभ्यर्थी को प्राथमिकता एवं उक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर कण्डिका 5.6. 3 में दिए निर्देशानुसार पैनल तैयार होगा, अतएव स्पष्ट है इसमें अनुभव का प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है। अतः अनुभव के सत्यापन की आवश्यकता वर्तमान में नहीं है।
6. सफल सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी पात्र सूची में स्वतः सम्मिलित हो जाएगा। इस सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों की विषयवार तथा शाला के स्तरवार वरियता के आधार पर सूची जनरेट होगी जिसके आधार पर अभ्यर्थी को अतिथि शिक्षक के रूप में शाला में उपस्थित होना होगा।
7. संचालनालय के आदेश कमांक/विद्या/2186 भोपाल दिनांक 03.08.2017 में डॉक्यूमेंट सत्यापन हेतु समयावधि 5 सितम्बर 2017 तक तथा स्कूलवार/विषयवार अलोटमेंट की तिथि 10 सितम्बर 2017 तक बढाई जाती है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संलग्न :–शासनादेश कमांक/एफ 44–15/2010/20–2
भोपाल दिनांक 09.11.2016

(नीरज दुबे)
आयुक्त
लोक शिक्षण, म0प्र0

पृ.कमांक/विद्या/टी/2017/2349-
भोपाल, दिनांक 24.8.2017

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग/आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल, म0प्र0।
2. कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले, म0प्र0।
3. संभागीय संयुक्त संचालक/संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास विभाग समस्त संभाग म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
4. सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विकास/जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिला की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं आहरण संवितरण अधिकारी/बी.आर.सी. जनपद शिक्षा केन्द्र, म0प्र0।

आयुक्त
लोक शिक्षण, म0प्र0

अतिथि शिक्षक सत्यापन प्रक्रिया

संकुल प्राचार्य, अपने डी.डी.ओ. कोड का उपयोग करते हुए एजूकेशन पोर्टल में लॉग इन करेंगे। (http://educationportal.mp.gov.in/default_home.aspx)

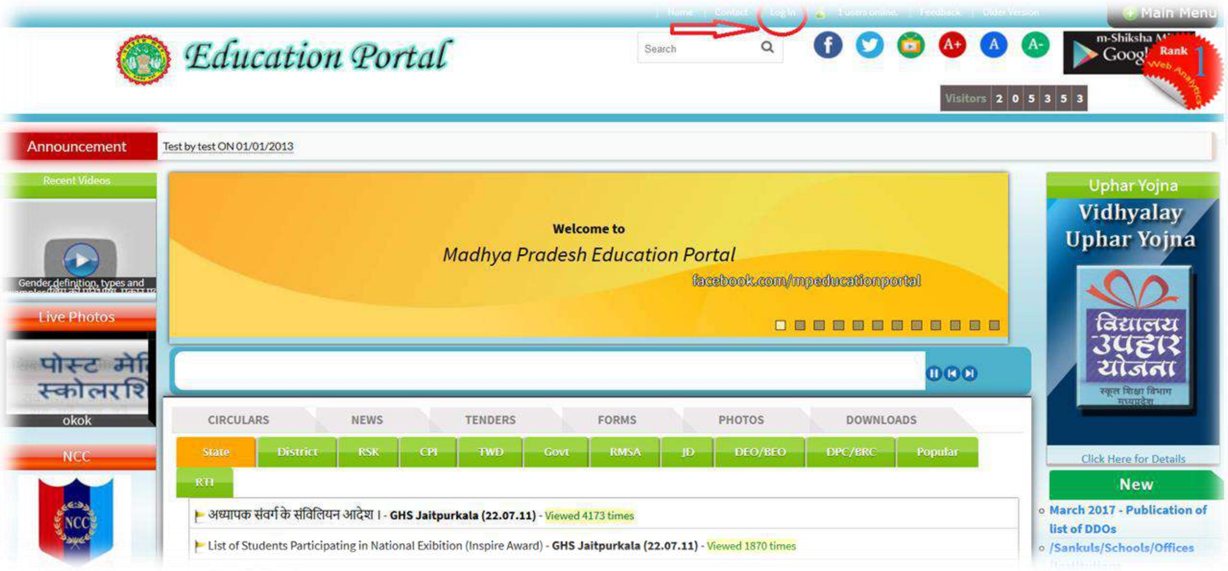

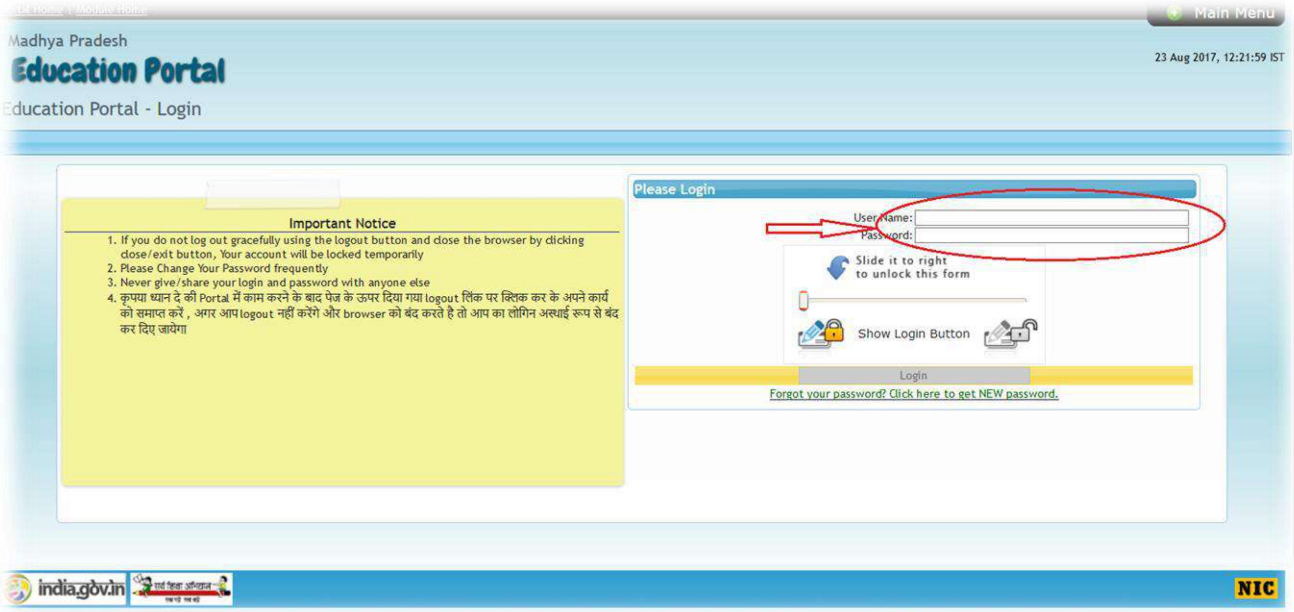

login करने के उपरांत New Launches के मेनू में **Guest Faculty Verification** की लिंक प्रदर्शित होगी |

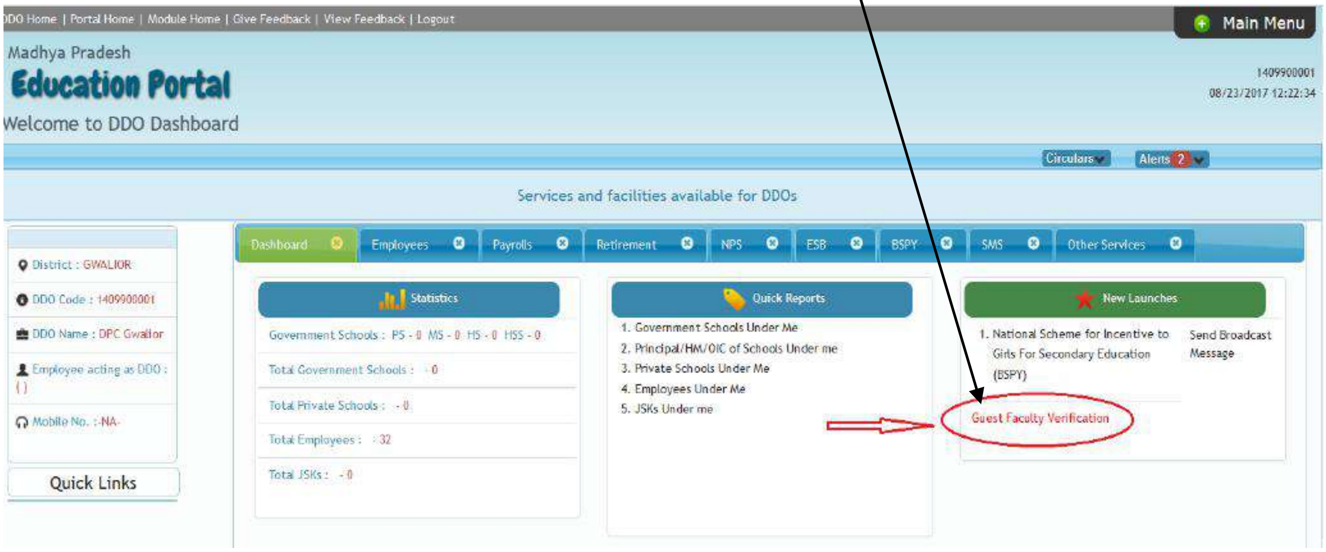

उक्त लिंक पर क्लिक करने के उपरांत निम्न दर्शाया गया स्क्रीन प्रदर्शित होगा |

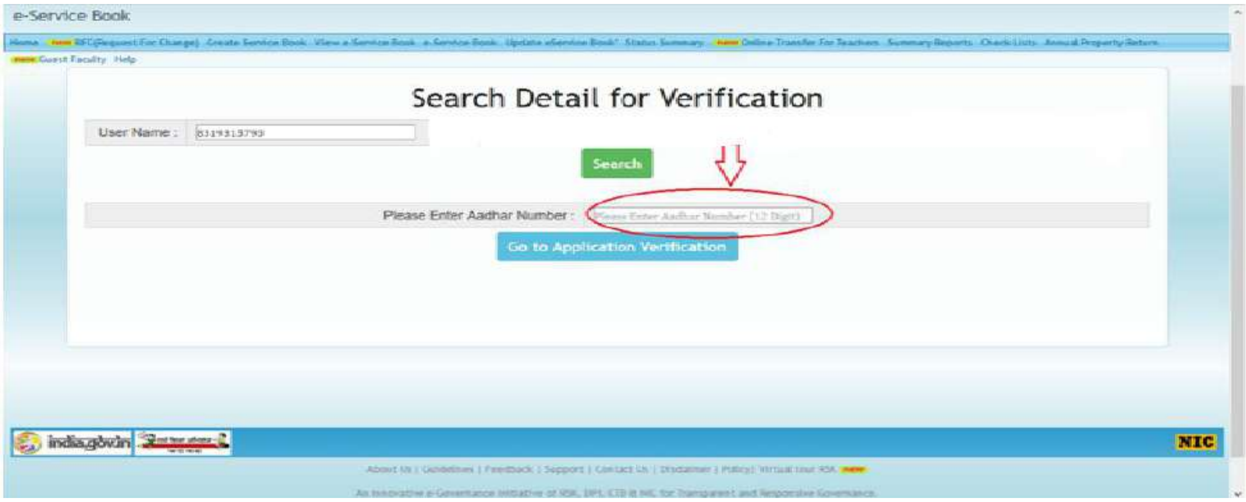

1. उक्त स्क्रीन पर आवेदक का यूजर नेम जो की आवेदक का मोबाईल नम्बर है दर्ज करें ।
2. मोबाईल नम्बर की प्रविष्टि के बाद आवेदक का 12 अंको का आधार नम्बर दर्ज किया जाये।
3. उक्त प्रक्रिया के उपरांत Go To Application Verification बटन पर क्लिक करें |
4. उक्त बटन पर क्लिक करने के पश्चात् स्क्रीन पर आवेदक की शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारियां प्रदर्शित होंगी।
5. पोर्टल में दर्ज शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारियों का आवेदक के मूल अंक सूचीप्रमाण पत्र से / मिलान करें।

6. यदि जानकारियां सही हैं तो वेरीफाई (Verify) का बटन क्लिक करें।
7. यदि जानकारी अंक सूची से भिन्न है उस स्थिति में रिजेक्ट (Regect) का बटन क्लिक करें।
8. संकुल प्राचार्य द्वारा रिजेक्ट (Regect) करने पर आवेदक का फार्म फिर से Open हो जायेगा। आवेदक जानकारी में यथा संशोधन कर सकते हैं। संशोधन उपरांत पुनः सत्यापन हेतु संकुल प्राचार्य के पास उपर उल्लेखित सत्यापन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।

उक्त प्रक्रिया को पूर्ण करते हीं आपके सामने निम्न दर्शाए स्क्रीन के अनुसार Success का मैसेज प्रदर्शित होगा

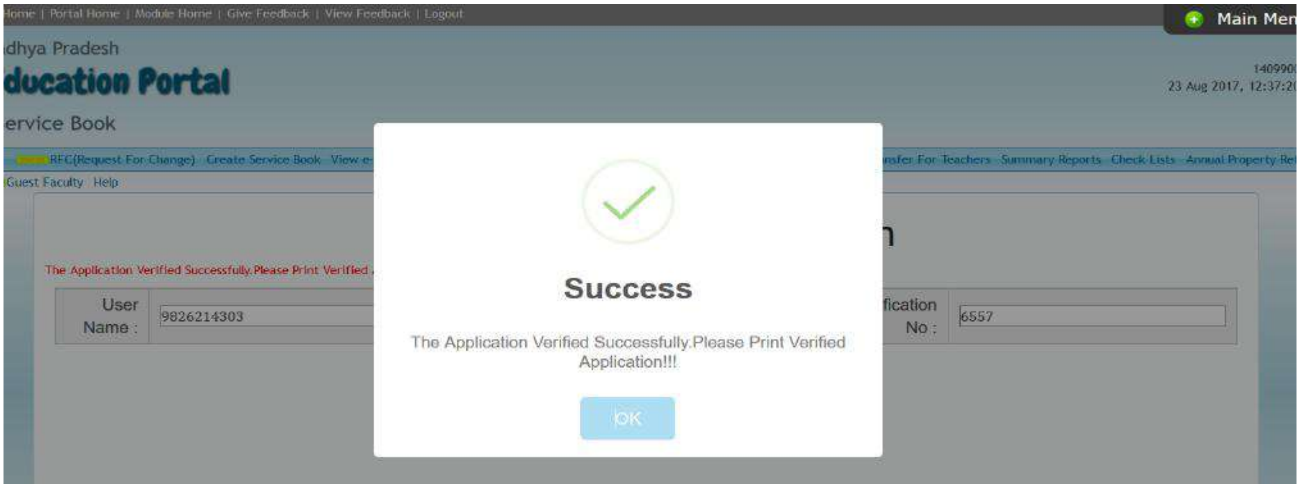
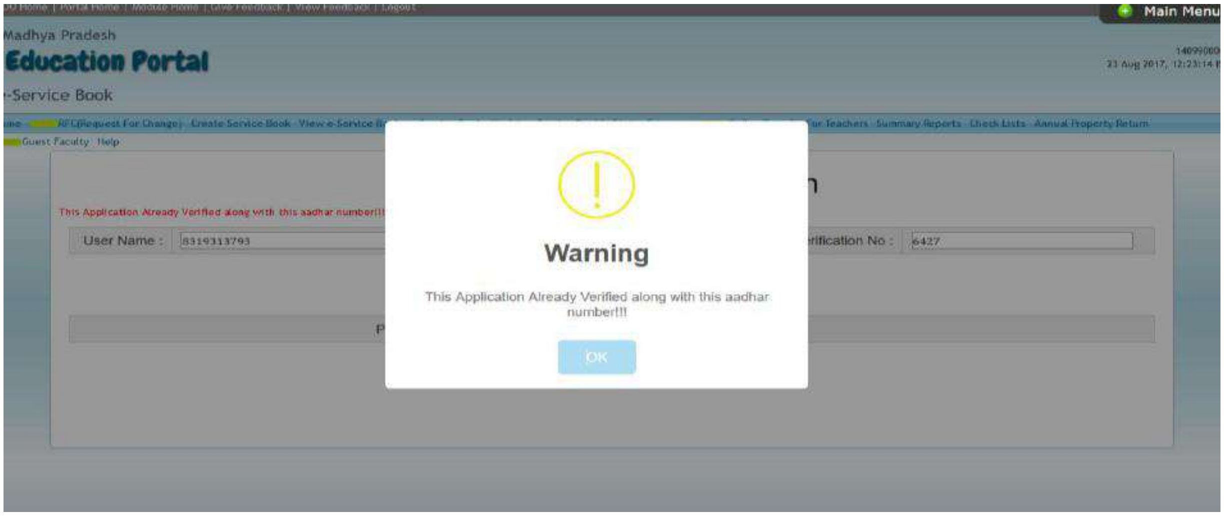
यदि आवेदक का सत्यापन पूर्व में ही किया जा चूका है तो निम्नांकित स्क्रीन प्रदर्शित होगा |